

भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II-खंड 3, उप-खंड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2017/20 अग्रहायण, 1939

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 11 दिसम्बर, 2017

का.आ.3862(अ) - केंद्र सरकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की दिनांक 26 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ.3488(अ) में संशोधन करती है :-

1. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन पदेन अध्यक्ष :
  - (i) सचिव, संस्कृति मंत्रालय
2. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन पदेन अध्यक्ष :
  - (i) संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय
  - (ii) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
  - (iii) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय
  - (iv) संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
  - (v) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
  - (vi) संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
3. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन पदेन अध्यक्ष :
  - (i) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
  - (ii) संयुक्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन
4. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन प्रोफेसर, इतिहासज्ञ तथा अभिलेखाधिकारी :
  - (i) डा. सुष्मिता पांडे  
152, विज्ञापन लोक अपार्टमेंट  
मयूर विहार एक्सटेंशन, दिल्ली-110091
  - (ii) प्रो. कपिल कपूर  
बी-2/332, एकता गार्डन, पटपड़गंज  
निकट - मदर डेयरी,  
दिल्ली-110092

(iii) डा. मीना गौतम

अभिलेख उपनिदेशक (सेवानिवृत्त)

बी-3, द्वितीय तल, कैलाश कॉलोनी,

नई दिल्ली-110048

5. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के अधीन पदेन सदस्य सचिव :

(i) अभिलेख महानिदेशक

सभी सदस्य अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को स्वीकार्य दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के हकदार हैं।

[फा.सं. 16-16/2017-आर.एम.]

प्रणव खुल्लर, संयुक्त सचिव